

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,
जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 265 / 2024

अनवान :-

1. जसवीर कौर पत्नी सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवारी तलवाडा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

- वादीया

बनाम्

1. करमा सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवारी तलवाडा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. घरमा सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवारी तलवाडा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान

काश्तकारी अधि 1955

उपरिस्थिति :- श्री संजय कुमार वादी
श्री जयनारायण शर्मा प्रतिवादीगण

डिक्री


दिनांक 25/10/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री अब्दुल संजय शर्मा व वकील प्रतिवादी श्री जयनारायण शर्मा अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक न० 5 टीएलडब्ल्यू के जमाबंदी संवत् 2075 ता 78 के खाता स० 41/150 में कुल 1.7710 है० आराजी नहरी कृषि भूमि में प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 प्रत्येक का 1/2 हिस्सा तथा चक न० 5 टीएलडब्ल्यू के खाता स० 290/61 में कुल 4.1870 हैक्टियर नहरी मय गै०मु० आराजी में प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 प्रत्येक का 253/8374 हिस्सा आराजी की वादीया खातेदार को साक्ष्य प्रस्तुत कर इसी अनुसार रिकॉर्ड में अंकन कर चक 5 टीएलडब्ल्यू के खाता स० 290/61 व इसी चक के खाता स० 41/150 में से प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 का नाम अंकन कर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का

स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का रथगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/10/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पटन सहायक कलेक्टर
एवं सहायक कलेक्टर
देहरादून
टिब्बी